प्रकाशन हेतु अनुमोदित

xii. –189(जय 1) सी.जे.पी.आर 9–94

बंदी की अपील

सत्र प्रकरण संख्या 429/98. नाम संतराम चौहान

पिता का नाम मोहन लाल चौहान –

निवास स्थान धारा ३०२ भा.द.वि आयु –18 वर्ष

दंडादेश – आजीवन कारावास एवं 14/2/2020 को

५००० रुपये अदा न करने पर ३ माह का कारावास द्वारा श्री जिला न्यायाधीश– कोरबा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बंदी को यह समझाया जाता है कि यदि वह कहता है कि वह किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना चाहता है तो अपीलीय न्यायालय सात दिनों तक मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा जब तक कि विधि व्यवसायी पहले उपस्थित न हो जाए। यदि विधि व्यवसायी इन सात दिनों के भीतर उपस्थित नहीं होता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं सुना जा सकता है यदि बंदी कहता है कि वह विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहता है तो न्यायालय मामले को तुरंत आगे बढ़ा सकता है और मेरे विधि व्यवसायी को सुनवाई देने के लिए बाध्य नहीं होगा जो कि उपस्थित होना चाहिए।

1. संलग्न निर्णय प्रति ।

2. प्रति लिपि प्राप्त होने की तिथि –– 4/3/2000

3. अपील भेजने की तिथि– 7/3/2000

4. क्या कैदी प्रतिनिधित्व करना चाहता है या नहीं

नं .४२९/९८

नाम संतराम चौहान पिता का नाम मोहन लाल चौहान –

सेंट्रल जेल–बिलासपुर (आर.) में बंद–

दिनांक–7/3/2000

रजिस्टार उच्च न्यायालय, जबलपुर (मध्य–प्रदेश) को अग्रेषित

मामले में पारित निर्णय या आदेश की एक प्रति के साथ उचित अपीलीय न्यायालय को प्रेषित करना।

रसीद की तिथि कार्यालय

अभिलेख प्राप्त होने की तिथि संलग्न करें

अपीलीय न्यायालय को अपील का ज्ञापन–

संखया तारीख 199

को अग्रेषित किया गया:–

अपीलीय न्यायालय में प्राप्ति की तिथि –

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(युगल पीठ)

दांडिक अपील संख्या 994/2000

संत कुमार चौहान

बनाम –

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय विचारार्थ हेतु

सही

न्यायाधीश

29/11/2005

माननीय न्यायमूर्ति दिलीप आर देशमुख

सही /–

दिलीप राव साहेब देशमुख

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

३० नवंबर, 2005 को निर्णय के लिए सूचीबद्ध करें।

सही /–

एल.सी. भादू

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 994/2000

संत कुमार चौहान

– बनाम –

छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थित: –

श्रीमती किरण जैन, अधिवक्ता:	अपीलार्थी के लिए.
श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता	राज्य/उत्तरवादी के लिए

युगल पीठ :

माननीय न्यायाधीश श्री एल.सी. भादू एवं

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(३० नवम्बर, 2005 को घोषित किया गया)

न्यायमूर्ति एल.सी. भादू द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय सुनाया गया:–

1. यह अपील श्री विनोद भारद्वाज, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोरबा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 429/98 में दिनांक 14.02.2000 को दिए गए निर्णय के विरुद्ध है, जिसके द्वारा अपीलार्थी संत कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दिनांक 23.5.1998 को शाम लगभग 7.30 बजे ग्राम कोहड़िया बस्ती में समय लाल की हत्या करने के लिए दोषसीध किया गया था और आजीवन कारावास और 5,000/– रुपए का जुर्माना से दंडित किया गया था, जुर्माना अदा करने में विलंब करने 03 महीने के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

2. संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है, दिनांक 23.5.1998 को शाम लगभग 7.30 बजे समय लाल कोहड़िया बस्ती में टहलने गया था। अपीलार्थी नशे की हालत में साइकिल पर आया और

कहा कि समय लाल तुमको प्यारेलाल से झगड़ा करने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाकू निकाला और समय लाल के पेट के दाहिने हिस्से पर वार कर दिया। समय लाल गिर गया। अपीलार्थी भाग गया, समय लाल ने पुलिस चौकी, रामपुर में प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी–10 के द्वारा दर्ज कराई जिसमें हमलावर का नाम नहीं लिखा था। इसमें कहा गया था कि हमलावर प्यारेलल का मेहमान था। समय लाल को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ ए.डी. पुरैना (अ.सा. 9) ने समय लाल की जांच की और पेट के दाहिने हिस्से में यकृत क्षेत्र में 2 x 0.5 सेमी आकार में एक चाकू के घाव का निशान पाया। किनारे तीखे थे। उन्होंने पेट का एक्स–रे कराने की सलाह दी। समय लाल को कोरबा के सौ बिस्तर वाले अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिनांक 27.5.1998 को नायब तहसीलदार श्री बी.आर. ठाकुर (अ.सा.–4) ने प्रदर्श.पी–3 के माध्यम से समय लाल का मृत्युकालिक कथन दर्ज किया, जिसमें हमलावर के रूप में संत कुमार का नाम लिया गया था। समय लाल की मृत्यु दिनांक 27.5.1998 को चोट के कारण मृत्यु हो गई। डॉ एम.एस. पॉल (अ.सा.–8) ने शव प्रशिक्षण किया, जिन्होंने पेट के यकृत क्षेत्र में सब कोस्टल लाइन से 2 इंच नीचे मध्य गोलाकार रेखा में 1.5 इंच लंबाई और पेरिटोनियम की गहराई तक एक चाकू का घाव पाया । उन्होंने कहा कि समय लाल की मौत पेट में छेद होने के कारण सेप्टीसीमिया से बेहोशी के कारण हुई। जांच के दौरान सहायक उप निरीक्षक श्री एम.एम. खान (अ.सा. 11) ने अपीलार्थी के मेमोरेंडम प्रदर्श.पी–5 के तहत लकड़ी के हैंडल वाला एक लोहे का चाकू बरामद किया। विवेचना पूरी होने के बाद अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अभियोग चलाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थी ने अपना अपराध स्वीकार किया, निर्दोष होने का दावा किया तथा बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

4. अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों का प्रशिक्षण कराया । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए, विचारण न्यायधीश ने अपीलार्थी को समय लाल की हत्या करने के लिए भा. द. सं. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और खंडिका–1 में पूर्वोक्त सजा सुनाई।

5. अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती किरण जैन ने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष ने भा. द. सं. की धारा 302 के तहत अपीलार्थी की दोषसीधि को उचित ठहराने के लिए कोई वैधानिक और विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं किया। उन्होंने न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि मृतक द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन में अपीलार्थी को हमलावर के रूप में नाम नहीं लिया गया था, जिससे मृतक की पत्नी सावन बाई (अ.सा.–1) की गवाही पूरी तरह से अविश्वसनीय हो जाती है कि समय लाल ने उसे बताया था कि उसे अपीलार्थी संत कुमार ने चाकू मारा था। वैकल्पिक रूप से, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जो अपीलार्थी द्वारा समय लाल की हत्या करने के पीछे हेतुक को दर्शाता हो। अपीलार्थी द्वारा पेट में केवल एक ही चोट पहुँचाने का आरोप लगाया गया था और इसलिए, अपीलार्थी द्वारा किया गया अपराध, यदि कोई हो, तो भा. द. सं. की धारा 304 भाग–II से जादा का अपराध नहीं बनता है और अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.5.1998 से जो अवधि अभिरक्षा में पहले ही बिताई जा चुकी है वह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री अखिल मिश्रा ने उपेक्षित निर्णय के समर्थन में तर्क दिया।

7. हमने परस्पर विरोधी तर्कों को सुना और अभिलेख का भी अवलोकन किया । डॉ. एम.एस. पॉल (अ.सा.–8) की गवाही और समय लाल को लगी चोट से कोई संदेह नहीं रह जाता कि समय लाल की मृत्यु मानव वध थी। इस पहलू पर भी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कोई विवाद नहीं किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. प्रधान आरक्षक गोरेलाल (अ.सा.–12) ने समय लाल द्वारा पुलिस चौकी, रामपुर में दिनांक 23.5.1998 को दर्ज कराई गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी–10 को साबित कर दिया है और अपनी गवाही के कंडिका 5 में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक ने अपने द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन में अपीलार्थी का नाम नहीं लिया था। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श.पी–10 से पता चलता है कि प्यारेलाल के एक मेहमान पर समय लाल को चाकू मारने का आरोप है।

9. अब समय लाल की हत्या में अभियुक्त / अपीलार्थी की संलिप्तता की बात करें तो इस मामले में कोई भी प्रदर्शदर्शी नहीं है और पूरा मामला इस पर आधारित है; (क) मृतक समय लाल (प्रदर्श पी–3) द्वारा साईं अस्पताल, कोरबा में डॉ. एडी पुरैना (अ.सा.–9) की उपस्थिति में नायब तहसीलदार श्री बी.आर. ठाकुर (अ.सा.–4) के समक्ष दिया गया मृत्युकालिक कथन ; (ख) मृतक समय लाल द्वारा अपनी पत्नी सावन बाई (अ.सा.–1) के समक्ष दिया गया मौखिक मृत्युकालिक कथन और; (ड.) साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा दी गई सूचना के अनुसरण में उसकी निशानदेही पर अपराध मे प्रयुक्त हथियार यानी चाकू की बरामदगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. जहां तक बिंदु संख्या 1 का सवाल है, न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या केवल मृतक द्वारा दिए गए मृत्युकालिक कथन के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है और क्या मृतक द्वारा दिया गया मृत्युकालिक कथन न्यायालय को पूर्ण विश्वास दिलाता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित विधिक सिद्धांत" पर एक नजर डालना सुसंगत होगा। **के. रामचंद्र रेड्डी और अन्य बनाम लोक अभियोजक [एआईआर 1976 सुप्रीम कोर्ट 1994]** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृत्युकालिक कथन धारा 32 के तहत स्वीकार्य है और यह शपथ पर दिया गया कथन नहीं है, ताकि इसकी सत्यता को प्रतिपरीक्षण

द्वारा परखा जा सके, न्यायालयों को कथन पर कार्रवाई करने से पहले कठोरतम जांच और अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। जबकि मरते हुए व्यक्ति के शब्दों के साथ बहुत गंभीरता और पवित्रता जुड़ी होती है, क्योंकि मृत्यु के कगार पर खड़ा व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा या किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए कोई कहानी नहीं गढ़ेगा, फिर भी न्यायालय को इस बात के प्रति सतर्क रहना चाहिए कि मृतक का कथन किसी के द्वारा सिखाए जाने, उकसाने या उसकी कल्पना की उपज न हो। न्यायालय को यह संतुष्टी होना चाहिए कि मृतक को अपने हमलावरों को देखने और पहचानने का स्पष्ट अवसर मिलने के बाद वह कथन देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ था और वह बिना किसी प्रभाव या विद्वेष के कथन दे रहा था। एक बार जब न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि मृत्युकालिक कथन सत्य और स्वैच्छिक है, तो यह बिना किसी और पुष्टि के भी दोषसिद्धि स्थापित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए, न्यायालय को परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा जैसे कि मरने वाले व्यक्ति को अवलोकन के लिए अवसर, उदाहरण के लिए, यदि अपराध रात में किया गया था तो क्या पर्याप्त रोशनी थी; क्या व्यक्ति द्वारा बताए गए तथ्यों को याद रखने की क्षमता उस समय उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण क्षीण नहीं हुई थी; यदि उसे आधिकारिक अभिलेख के अलावा मृत्युकालिक कथन देने के कई अवसर मिले थे, तो कथन पूरे समय एक जैसा रहा है और यह कि कथन सबसे पहले अवसर पर दिया गया था और यह हितबद्ध पक्षकारो द्वारा सिखाए जाने का परिणाम नहीं था।" विश्वसनीयता के महत्वपूर्ण परीक्षणों में से एक मृत्युकालिक कथन का अर्थ यह है कि इसे दर्ज करने वाले व्यक्ति को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि मृतक मानसिक रूप से स्वस्थ था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने **लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2002) 6 सुप्रीम कोर्ट केस] 710 में प्रकाशित मामले** में यह अभिनिर्धारित किया है कि :–

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"जिस स्थिति में कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर लेटा होता है, वह बहुत गंभीर और शांत होती है, यही कारण है कि विधि में उसके कथन की सत्यता को स्वीकार किया जाता है। यही कारण है कि शपथ और प्रतिपरिक्षण की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया जाता है। चूंकि अभियुक्त के पास प्रतिपरिक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए न्यायालय इस बात पर जोर देते हैं कि मृत्युकालिक कथन इस तरह का होना चाहिए कि न्यायालय को इसकी सत्यता और शुद्धता पर पूरा भरोसा हो। हालांकि, न्यायालय को हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मृतक का कथन किसी शिक्षा या प्रेरणा या कल्पना की उपज के परिणामस्वरूप नहीं था। न्यायालय को यह भी तय करना चाहिए कि मृतक मानसिक रूप से स्वस्थ था और उसे हमलावर को देखने और पहचानने का अवसर मिला था। इसलिए, सामान्यतः न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि मृतक मृत्युकालिक कथन करने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ था या नहीं, चिकित्सीय राय को देखता है। लेकिन जहां प्रदर्शदर्शी बताते हैं कि मृतक कथन करने के लिए स्वस्थ और सचेत अवस्था में था, वहां चिकित्सा राय मान्य नहीं होगी, न ही यह कहा जा सकता है कि चूंकि घोषणाकर्ता की मानसिक स्थिति के बारे में डॉक्टर का कोई प्रमाणन नहीं है। ऐसे में घोषणाकर्ता की मानसिक स्थिति के आधार पर मृत्युकालिक कथन स्वीकार्य नहीं है। मृत्युकालिक कथन मौखिक या लिखित हो सकता है और सूचना का कोई भी उचित तरीका हो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सकता है, चाहे वह किसी भी माध्यम से हो। शब्दों या संकेतों या अन्यथा द्वारा किया गया कथन पर्याप्त होगा, बशर्ते संकेत सकारात्मक और निश्चित हो। विधि की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि मृत्युकालिक कथन अनिवार्य रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष किया जाना चाहिए और जब ऐसा कथन मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाता है, तो ऐसी अभिलेखन के लिए कोई निर्दिष्ट वैधानिक रूप नहीं है। नतीजतन, ऐसे कथन को क्या साक्ष्यीक मूल्य या वजन दिया जाना चाहिए, यह अनिवार्य रूप से प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अनिवार्य रूप से यह आवश्यक है कि मृत्युकालिक कथन दर्ज करने वाले व्यक्ति को यह संतुष्टि होनी चाहिए कि मृतक मानसिक रूप से स्वस्थ था। जहां मजिस्ट्रेट की गवाही से यह साबित हो जाता है कि घोषणाकर्ता डॉक्टर द्वारा जांच किए बिना भी कथन देने के लिए फिट था, तो घोषणा पर कार्रवाई की जा सकती है, बशर्ते कि न्यायलय अंततः इसे स्वैच्छिक और सत्य मानती है..."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पी.वी. राधाकृष्ण बनाम कर्नाटक राज्य [एआईआर 2003 सुप्रीम कोर्ट 2859] में प्रकाशित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनिर्धारित कि "धारा 32 का खंड (1) उस कथन को सुसंगत बनाता है जिसे आम तौर पर मृत्युकालिक कथन कहा जाता है। स्वीकृति के आधार हैं; प्रथम, पीड़ित के लिए आम तौर पर अपराध का एकमात्र मुख्य्य चश्मदीद गवाह होना आवश्यक है, कथन का अपवर्जन न्याय के उद्देश्यों को विचलित कर सकता है; और दूसरा, आसन्न मृत्यु की भावना, जो शपथ के दायित्व के बराबर स्वीकृति प्रदान करती है। सामान्य

सिद्धांत जिसके आधार पर इस प्रकार के साक्ष्य को स्वीकार किया जाता है, वह यह है कि वे चरम सीमा पर की गई घोषणाएं हैं, जब पक्षकार मृत्यु स्थिति में होता है और जब इस दुनिया की हर उम्मीद खत्म हो जाती है, जब झूठ बोलने का हर मकसद खामोश हो जाता है, और मन सच बोलने के लिए सबसे शक्तिशाली विचारों से प्रेरित होता है; ऐसी स्थिति इतनी गंभीर और इतनी वैध है कि विधि द्वारा इसे न्यायालय में दिलाई गई सकारात्मक शपथ द्वारा अधिरोपित दायित्व के रूप में माना जाता है। इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित विधि के अनुसार यदि मृत्युकालिक कथन न्यायालय को अपने में पूर्ण विश्वास दिलाता है सत्यता और शुद्धता तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षणों पर खरा उतरने के आधार पर, दोषसिद्धि केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर ही हो सकती है, क्योंकि मृत्युकालिक कथन के पीछे यह पवित्रता जुड़ी हुई है कि मृत्यु के कगार पर खड़ा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को झूठे मामले में नहीं फंसाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अब उपरोक्त विधि के आधार पर, हम वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अभियुक्त/ अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर भी विचार करते हैं। नायब तहसीलदार श्री बी.आर. ठाकुर–(अ.सा.–4) द्वारा दिनांक 27.5.1998 को मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श.पी–3) दर्ज किया गया था और इस मृत्युकालिक कथन में मृतक समय लाल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि संत कुमार वह व्यक्ति था जिसने उसे चाकू मारा था। अ.सा.– 4 श्री बी.आर. ठाकुर, नायब तहसीलदार सह कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिन्होंने उपरोक्त कथन दर्ज किया है, ने अपने साक्ष्य के कंडिका –2 में स्पष्ट रूप से कहा है कि अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने समय लाल से कुछ प्रश्न पूछे और उन्होंने पाया कि समय लाल प्रश्नों को समझने और उनका उत्तर देने की स्थिति में था। सबसे पहले उन्होंने कथन देने वाले का नाम

पूछा और उसके बाद उसके पिता का नाम पूछा।। मृतक ने उस स्थान का भी खुलासा किया जहा उसे चाकू मारा गया और फिर उसने खुलासा किया कि संत कुमार यानी वर्तमान अभियुक्त/ अपीलार्थी ने उस पर चाकू से वार किया। यह सत्य है कि कंडिका –4 में इस साक्षी ने कहा है कि मृतक समय लाल घायल अवस्था में थे और स्पष्ट स्वर में कुछ भी बताने में असमर्थ थे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि समय लाल को प्रश्न समझ में नहीं आ रहे थे और वह भी इसका जवाब नहीं दे पाए। प्रथम साक्ष्य के रूप में, इस गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि घायल व्यक्ति कथन देने के लिए स्वस्थ स्थिति में था और प्रश्नों को समझ रहा था और उनका उत्तर भी दे रहा था । इस गवाह से प्रतिपरिक्षण करते हुए बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने ऐसा कुछ दर्शित नहीं कर पाया है जो इसके साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता है या मृतक समय लाल कथन देने के लिए सक्षम नहीं था। अ.सा.–9 डॉ. ए.डी. पुरैना, जो अभिलिखित करने के समय मौजूद था, मृत्युकालिक कथन में अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा है समय लाल कथन करने के लिए पूरी तरह मानसिक रूप से स्वस्थ थे और इसलिए उन्होंने मृत्युकालिक कथन (प्र.पी–3) में यह अभिप्रमाणित किया था जिसके की "सी" से "सी" भाग में उसके हस्ताक्षर हैं जिसमें डॉक्टर ने उल्लेख किया है कि मरीज होश में है और अपना कथन दे सकता है। इसलिए, अ.सा. 4 श्री बी.आर. ठाकुर और अ.सा. 9 डॉ. ए.डी. पुरैना के उपरोक्त साक्ष्य के मद्देनजर यह स्थापित होता है कि समय लाल कथन देने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ था और वास्तव में उसने प्र.पी–3 का कथन दिया जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी संत कुमार ने ही उसे चाकू मारा था। कार्यकारी मजिस्ट्रेट की प्रतिपरिक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं निकला कि समय लाल ने बिना किसी तर्क या कारण के आरोपी/ अपीलार्थी को फंसाने के लिए झूठा कथन दिया। यह मृत्युकालिक कथन मृतक की पत्नी अ.सा.–1 सावन बाई के साक्ष्य से भी पुष्ट होता है, की जब वह अपने पति समय लाल से मिलने अस्पताल गई उस समय मौखिक मृत्युकालिक कथन दिया

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

था। उसने कहा है कि पूछताछ करने पर समय लाल ने उसे बताया कि संत कुमार ने उसे चाकू मारा है। इस गवाह की प्रतिपरिक्षण में भी बचाव पक्ष ऐसी कोई परिस्थिति या तथ्य नहीं बता पाया है कि इस गवाह का उपरोक्त साक्ष्य किसी भी कारण से विश्वसनीय या भरोसेमंद नहीं है। यहां तक कि पुलिस द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए कथन में भी इस गवाह ने कहा है कि उसके पति ने उसे अस्पताल में बताया कि संत कुमार ही वह व्यक्ति है जिसने उसे चाकू मारा है।

12. अब अभियुक्त/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए तर्कों पर विचार करते है की प्रथम सूचना प्रतिवेदन,जो स्वयं घायल समय लाल द्वारा दर्ज कराई गई थी, में अभियुक्त/अपीलार्थी का नाम नहीं है, इसलिए, जिसमे अभियुक्त के नाम का खुलासा पहली बार किया है मृत्युकालिक कथन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यदि हम प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी–10) को देखें, तो इस रिपोर्ट में मृतक समय लाल ने खुलासा किया है कि दिनांक 23.5.1998 को शाम लगभग 7.30 बजे जब वह टहलने जा रहा था, प्यारेलाल चौहान का एक मेहमान साइकिल से आ रहा था, रास्ते में उससे मिला और कहा कि तुम उसे नहीं जानते, तुम्हारा प्यारेलाल से झगड़ा हुआ है और उसी समय उसने अपने कपड़ों से चाकू निकाला और उसके पेट पर वार कर दिया, जिससे खून निकलने लगा। यह सच है कि इस प्रथम सूचना प्रतिवेदन मृतक ने आरोपी संत कुमार चौहान का नाम तो स्पष्ट रूप से नहीं बताया है, लेकिन उसने साफ तौर पर बताया है कि हमलावर प्यारेलाल चौहान का मेहमान था। इसी तरह, समय लाल ने मरने से पहले दिए गए कथन में हमलावर की पहचान प्यारेलाल चौहान के रिश्तेदार के रूप में बताई है। इस तरह, उसने बताया कि हमलावर प्यारेलाल चौहान का रिश्तेदार था।चाकू मारने वाले व्यक्ति की पहचान पर्याप्त नहीं है और इस बात की पूरी संभावना है कि दर्द या किसी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्य कारण से समय लाल रिपोर्ट दर्ज कराते समय आरोपी का नाम नहीं बता पाया, लेकिन बाद में उसने आरोपी का नाम बता दिया। आरोपी द्वारा इस तथ्य से इनकार नहीं किया गया है कि वह प्यारेलाल चौहान का रिश्तेदार नहीं है। पुलिस अभिरक्षा में भी अभियुक्त / अपीलार्थी ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत जानकारी (प्रदर्श पी–5) दी जिसमें उसने बताया है कि अपराध में प्रयुक्त का हथियार प्यारेलाल चौहान के घर में रखा गया है। इसी के अनुसरण में जानकारी के अनुसार चाकू को आरोपी की निशानदेही पर प्यारेलाल चौहान के घर से प्रदर्श पी–6 के तहत बरामद किया गया, जिसे विवेचना अधिकारी श्री एम.एम. खान, सहायक उपनिरीक्षक (अ.सा.–11) द्वारा प्रमाणित किया गया, जिन्होंने विवेचना किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. अतः उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर यह स्थापित होता है कि अभियुक्त / अपीलार्थी ही हमले का लेखक है, क्योंकि अपराध में प्रयुक्त का हथियार अर्थात चाकू अभियुक्त/अपीलार्थी की निशानदेही पर प्यारेलाल के घर से बरामद किया गया था और मृतक ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन में उल्लेख किया था कि प्यारेलाल चौहान के एक रिश्तेदार ने उसे चाकू मारा था और उसके बाद मृत्युकालिक कथन में उसने अभियुक्त / अपीलार्थी का नाम बताया था और यह स्वीकार किया गया है कि आरोपी प्यारेलाल चौहान का रिश्तेदार है। मृतक की पत्नी सावन बाई (अ.सा. 1) या अ.सा. 4 श्री बी.आर. ठाकुर की प्रतिपरिक्षण में बचाव पक्ष साथ ऐसी कोई परिस्थिति नहीं ला पाया है, जिससे पता चले कि मृतक ने अभियुक्त को झूठे मामले में फंसाया है। दुश्मनी या किसी अन्य कारण से। इसलिए, दोषसिद्धि सावन बाई (अ.सा. 1) के समक्ष दिए गए मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी–3) और मौखिक मृत्युकालिक कथन के आधार पर हो सकती है, क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं है और यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षणों पर खरा उतरा है। उपरोक्त मृत्युकालिक कथन इस तथ्य से भी पुष्ट होता है कि अपराध

में प्रयुक्त हथियार यानी चाकू अभियुक्त/ अपीलार्थी की निशानदेही पर बरामद किया गया था, जो उसके द्वारा अ.सा.–11 श्री एम.एम. खान, विवेचना अधिकारी को दी गई सूचना प्रदर्श पी–5 पर आधारित था और प्रदर्श पी–6 के तहत उसके अनुसरण में अपराध में प्रयुक्त हथियार प्यारेलाल चौहान के निवास से बरामद किया गया था। स्वतंत्र गवाह ने यह भी कहा है कि चाकू प्रदर्श पी–6 के तहत प्यारेलाल चौहान के निवास से बरामद किया गया था। यद्यपि इस गवाह ने सूचना देने के संबंध में अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है, लेकिन विवेचना अधिकारी (अ.सा. 11) द्वारा यह साबित कर दिया गया है और इस गवाह की प्रतिपरिक्षण में बचाव पक्ष ऐसी कोई परिस्थिति उजागर नहीं कर सका है,इस गवाह के उपरोक्त साक्ष्य अविश्वसनीय हैं। इसलिए हमारा सुविचारीत राय है कि मृत्युकालिक कथन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त/ अपीलार्थी के विरुद्ध मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है तथा इस संबंध में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई त्रुटि नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अब अभियुक्त /अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क के दूसरे भाग पर आते हैं कि अभियुक्त /अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग–11 से ज्यादा का अपराध नहीं बनता । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि अभियुक्त / अपीलार्थी ने मृतक समय लाल को अचानक केवल एक बार चाकू मारा तथा मृतक की घटना की तिथि से चार दिन पश्चात मृत्यु हो गई। शव प्रशिक्षण प्रतिवेदन तथा डॉ. पॉल (अ.सा. 8) के साक्ष्य से पता चलता है कि मृतक समय लाल की मृत्यु पेट में छेद होने के कारण सेप्टीसीमिया के परिणामस्वरूप बेहोशी के कारण हुई थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक का उचित उपचार नहीं किया गया, यदि मृतक समय लाल को उचित उपचार दिया गया होता तो

उसके बचने की पूरी संभावना थी। अभिलेख पर कोई निश्चित चिकित्सा राय नहीं है कि मृतक के पेट पर लगी चोट सामान्य प्रकृति में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि आरोपी ने मृतक पर पूर्व–निर्धारित योजना के साथ मृत्यु कारित करने के हमला किया था। लेकिन साक्ष्य के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने अचानक बिना किसी पूर्व–चिंतन के अचानक झगड़े में बिना अनुचित लाभ उठाए मृतक को चाकू मार दिया। इसलिए, अभियुक्त का मामला भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 300 के अपवाद–4 के अंतर्गत आता है और अभियुक्त के खिलाफ धारा 304 भाग–2 के तहत अपराध बनता है, जिसके लिए हम शनमुगम उर्फ कुलंदैवेलु बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पुष्ट होते हैं, जो 2003 में क्रि.एल.जे. (सर्वोच्च न्यायालय) 418 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि "एक छोटे से झगड़े में अभियुक्त ने भाले से लैस होकर मृतक के पेट और छाती पर वार किया– घटना के एक सप्ताह बाद पीड़ित की सेप्टीसीमिया से मृत्यु हो गई और अस्पताल में पीड़ित को देखने वाले डॉक्टर के साक्ष्य यह निश्चित निष्कर्ष पर नहीं ले जा सके। सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के विषय पर पर्याप्त थी अभियुक्त को हत्या के लिए दोषी ठहराने के लिए यह स्थापित करना होगा कि आशय गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने का था, जिससे सामान्य क्रम में मृत्यु होने की संभावना थी।"

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. परिणामस्वरूप, अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से सफल होती है, अपीलार्थी संत कुमार चौहान को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि और दंडादेश आपस्त किया जाता है और इसके बजाय, अभियुक्त/अपीलार्थी संत कुमार चौहान को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग–2 के तहत अपराध करने के लिए दोषसिद्धि किया जाता है और उसे 08 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाता है । अपीलार्थी संत कुमार चौहान द्वारा

दिनांक 28.5.1998 से अब तक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को दंडादेश में समायोजित किया जाएगा।

सही/– एल.सी. भादू न्यायाधीश	सही/– दिलीप रावसाहेब देशमुख न्यायाधीश

अस्वीकरण हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालय एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ....तेजस्विता नंदिनी शाह ....

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur